न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 03/2015

प्रकरण दर्ज तिथि :— 10.03.2015

जीसीएमएस नम्बर :— 2015/00025

वादीगण :—

1. प्रहलाद पुत्र स्वरुप जी
2. किशन पुत्र स्वरुप जी
3. रामा पुत्र स्वरुप जी
4. चन्द्र पुत्र स्वरुप जी
5. राधेश्याम पुत्र स्वरुप जी

जातियान— गुर्जर, निवासीगण — केसरपुरा, सुमेल, तहसील — रायपुर बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. तहसीलदार जी, तहसील कार्यालय — रायपुर जिला — ब्यावर
2. जिला कलक्टर महोदय जी — ब्यावर
3. पटवारी पटवार हल्का — सुमेल, तहसील — रायपुर जिला — ब्यावर

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भागीरथ तैली अधिवक्ता वादीगण

2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 11.12.2023

वादी की ओर से वकील श्री भागीरथ तेली द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा — सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बाबरा, के खसरा नम्बर 1510 रकबा 1210 बीघा 02 बिस्वा किस्म गै. मु. भाकर स्थित हैं। उपरोक्त जमाबन्दी की नकल वाद के साथ संलग्न पेश है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावें। उपरोक्त खसरा नम्बर 1510 का कुल रकबा 1210 बीघा 02 बिस्वा आवंटन से पूर्व यह रकबा बहुत बडा था, उक्त रकबे में समय समय पर कब्जे काश्त के आधार पर पर खसरा परिर्वतनशील के आधार पर खसरा नम्बर 1510/1 से लगायत 1510/25 तक एवं खसरा नम्बर 1510/116 के मध्य आवंटन होकर खातेदारी दर्ज की गयी, उपरोक्त सभी खातेदारन के साथ वादीगण के पिता स्वरुप पुत्र धन्नाजी का कब्जा काश्त सम्वत् 2030 मे 20 बीघा पर था, एवं उसमें आवंटन का इन्द्राज भी है, सम्वत् 2034 में भी वादीगण के पिता के नाम उक्त खातेदारी खसरा नम्बर परिर्वतनशील में दर्ज है, एवं आवंटन सम्वत् 2025 में होने का दर्ज है। उपरोक्त अन्य खसरा नम्बरान 1510/1 से लगायत 1510/25 एवं खसरा नम्बर 1510/116 में खातेदारी दर्ज की जा चुकी है, उसी प्रकार वादीगण के पिता का नाम भी खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन पटवारी पटवार हल्का सुमेल की भूल वंश उक्त आवंटन दर्ज नही किया गया। आवंटन से पूर्व एवं आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी की दिनांक से आज दिन तक लगातार वादीगण एवं उसके पिता उक्त खसरा नम्बरान की भूमि मे कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के करते आ रहे है। लेकिन हल्का पटवारी की गलती से वादीगण एवं वादीगण के पिता का नाम आवंटन कमेटी के अदेशानुसार आज दिन तक नामान्तकरण नही भरा गया, तब वादीगण ने दिनांक — 15.10.2014 को आवंटन आदेश की नकल श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के कार्यालय से प्राप्त की, तब वादीगण के पिता के नाम पर बतौर आवंटी दर्ज मिला, एवं वादीगण ने दिनांक 30.12.2014 एवं 05.01.2015 को उपरोक्त खसरा नम्बरान 1510 के समस्त खातों की नकलें प्राप्त की, लेकिन वादीगण एवं वादीगण के पिता का नाम उपरोक्त खातेदरी में दर्ज नही मिला, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारी पटवारी पटवार हल्का सुमेल ने उक्त आदेश की पालना करते वक्त वादीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार दर्ज नही किया। इस प्रकार दिनांक 20.01.2015 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 03 को निवेदन किया कि उक्त आवंटन आदेश की पालना करते हुये, वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करे, इस पर प्रतिवादी संख्या 03 ने कहॉ कि पूर्व में नाम दर्ज नही है, देर हो चुकी है, इसलिये न्यायालय आदेश लेकर आओ, वादीगण एवं वादीगण के पिता का नाम दर्ज नही होने के कारण से आज दिन तक वादीगण के पिता के नाम के स्थान पर सरकारी भूमि काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत के नाम दर्ज है, जबकि वादीगण के पिता का नाम आवंटन आदेश के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिये था, जबकि अन्य खातेदारो के नाम उपखण्ड अधिकारी जी के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेशानुसार दर्ज किया जा चुके है, अन्य आवंटियों के अनुसार वादीगण अपना स्वंय का नाम खातेदारी में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त खसरे के आवंटन के पश्चात् अनेक खातेदार हो गये, जिसके कारण से उक्त खसरा नम्बर 1510 से लगाकर 1510/25 एवं खसरा नम्बर 1510/116 बट्टा पड चुके है। लेकिन उपरोक्त खसरा नम्बरान का बन्टवाडा नही हो रखा, और ना ही मौके पर तरमीन हो रखा है, जबकि खातेदार अपने अपने हिस्से पर एवं आवंटन के अनुसार एवं खातेदारी के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के करते आ रहे है। आवंटन के आधार पर वादीगण व उसके पिता का राजस्व रेकर्ड में आवंटन अनुसार दर्ज नही होने के कारण वादीगण को काफी कठिनाईयो का सामना पड रहा है, तथा अन्य लोग बिना किसी अधिकार के वादीगण को कब्जे से बेदखल करने पर उतारू है, जबकि उक्त आवंटन सुदा जमीन पर मौके पर काबिज काश्त आज दिन तक करते आ रहे है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान हो रहा है, वादीगण ने अपने हक हिस्से की भूमि को समतल व उपजाउ बनाने में काफी रूपये खर्च किये है, वादीगण एक काश्तकार व्यक्ति है, जिसका पूरा परिवार काश्तकारी करके ही अपना जीवन यापन करते आ रहे है, वादीगण के पास उक्त खसरा नम्बरान की जमीन के अलावा अन्य कोई जमीन नही है। अगर वादीगण को उक्त जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, या वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न की जाती है, तो वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी। वादीगण को अपने हितो व अधिकारो से वंचित होना पडेगा। इसलिये वादीगण अपने हक हिस्से की घोशणा करवाने हेतू यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। प्रतिवादी संख्या– 1 व 3, प्रतिवादी संख्या– 2 के अधीन है, इसलिये प्रतिवादी संख्या– 2 को पक्षकार बनाया गया है, तथा प्रतिवादी संख्या– 1 एक उक्त खसरा नम्बरान की जमीन के लैण्ड होल्डर है, इसलिये प्रतिवादीगण को इस वाद मे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या– 1,2,3 राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा– 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण गलत नाम के आधार पर वादीगण को जमीन से बेदखल कर देगे, इसलिये बिना नोटिस दिये ही श्रीमान् जी से अनुमति लेकर वाद पेश किया जा रहा है, अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। बिनायदावा दिनांक– 29.12.2014 को वादीगण को उक्त रेकर्ड की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर वादीगण को अपने नाम दर्ज नही होने की जानकारी हुई, तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या– 3 तीन को राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटन अनुसार वादीगण का नाम इन्द्राज करने हेतू दिनांक– 20.01.2015 को कहने पर प्रतिवादी संख्या– 3 तीन द्वारा मना करने पर बमुकाम– सुमेल, तहसील– रायपुर, जिला– पाली में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार, हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आषय की सादिर घोशित फरमाया जावे कि वाद के पद संख्या– 1 एक व 2 दो में वर्णित खसरा नम्बर 1041 रकबा 1141.11 बीघा में वादीगण की 20 बीघा का वादीगण संख्या 1 से 5 के पिता स्वरूपजी का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 6 के पिता हरीरामजी का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 7 से 10 के पिता सुखदेवजी का 1/3 हिस्सा का खातेदार काष्तकार घोशित फरमाकर राजस्व रेकर्ड में अमल बरामद किया जाकर वादीगण को खातेदारी काष्तकार घोषित फरमाया जावे, डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निशेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद के पद संख्या– 1 एक व 2 दो में वर्णित आवंटित जमीन 20 बीघा में वादीगण के हक अनुसार वादीगण के उपयोग उपभोग, काष्त काष्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, तथा प्रतिवादी संख्या– 1 एक व 2 दो को पाबन्द किया जावे कि राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तहत पेश किया हैं, जो स्वीकार किया जाकर वादीगण संख्या 02 किशन पुत्र स्वरूप के स्थान पर किशनाराम पुत्र स्वरूप, वादी संख्या 03 का रामा पुत्र स्वरूप के स्थान पर रामाराम पुत्र स्वरूप तथा चन्द्र पुत्र स्वरूप के स्थान पर चन्द्राराम पुत्र स्वरूप करने एवं रेकर्ड में आवश्यक संशोधन करने के आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार रायपुर के पत्रांक /राजस्व/2017/156 दिनांक 24.01.2017 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिसमें वादीगण को मौके पर उक्त खसरा नम्बर 1510 में 20 बीघा भूमि पर आवंटन से आज तक कब्जा हैं। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगणों को ही कब्जा हैं। साथ ही उपरोक्त भूमि में वादीगण के नाम दर्ज किया जाए तो तहसीलदार रायपुर को कोई आपत्ति नहीं हैं

बहस समायत की गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया उक्त खसरा नम्बर 1510 में 20 बीघा भूमि पर आवंटन से आज तक कब्जा हैं। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगणों को ही कब्जा हैं, वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया हैं। बहस में बताया कि उक्त वादीगण का वर्तमान में भी आज दिनांक तक कब्जा काश्त हैं।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के खसरा नम्बर 1510 रकबा 1210 बीघा 02 बिस्वा में वादीगण संख्या 01 से 05 की 20 बीघा भूमि में तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट से पूर्णतया साबित होता हैं कि वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका हैं। उक्त वादीगण ही इनके उत्तराधिकारी हैं। इस आराजी पर कब्जा काश्त हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के खसरा नम्बर 1510 रकबा 1210 बीघा 02 बिस्वा में वादीगण संख्या 01 से 05 की 20 बीघा भूमि, वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के खसरा नम्बर 1510 रकबा 1210 बीघा 02 बिस्वा में वादीगण संख्या 01 से 05 की 20 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्व होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तहसीलदार रायपुर तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र – बावरा के खसरा नम्बर 1510 रकबा 1210 बीघा 02 बिस्वा में वादीगण संख्या 01 से 05 की 20 बीघा भूमि में तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट से पूर्णतया साबित होता हैं कि वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका हैं। उक्त वादीगण ही इनके उत्तराधिकारी हैं। इस आराजी पर कब्जा काश्त हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र – बावरा के खसरा नम्बर 1510 रकबा 1210 बीघा 02 बिस्वा में वादीगण संख्या 01 से 05 की 20 बीघा भूमि, वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र – बावरा के खसरा नम्बर 1510 रकबा 1210 बीघा 02 बिस्वा में वादीगण संख्या 01 से 05 की 20 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तहसीलदार रायपुर तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

वादीगण :–

1. प्रहलाद पुत्र स्वरुप जी
2. किशन पुत्र स्वरुप जी
3. रामा पुत्र स्वरुप जी
4. चन्द्र पुत्र स्वरुप जी
5. राधेश्याम पुत्र स्वरुप जी

जातियान– गुर्जर, निवासीगण – केसरपुरा, सुमेल, तहसील – रायपुर बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार जी, तहसील कार्यालय – रायपुर जिला – ब्यावर
2. जिला कलक्टर महोदय जी – ब्यावर
3. पटवारी पटवार हल्का – सुमेल, तहसील – रायपुर जिला – ब्यावर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद 03/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ तेली अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव सरकारी पैराकार प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के खसरा नम्बर 1510 रकबा 1210 बीघा 02 बिस्वा में वादीगण संख्या 01 से 05 की 20 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं।

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत्.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....
...×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×.....को अदा करे।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.12.2023 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	4	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		18	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।